समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 19 August 2026

# 15 जून को नहीं होगी NEET PG परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्थगन का फैसला।

Publisher

Published on 03 Jun 2025

## अब एक ही शिफ्ट मे हांेगी परीक्षा, NBEMS जल्द जारी करेगा नई तारीख।

**नई दिल्ली : NEET PG 2025 परीक्षा को 15 जून** को आयोजित किया जाना था, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय **सुप्रीम कोर्ट** के उस आदेश के बाद लिया गया है जिसमें परीक्षा को एक ही पाली (शिफ्ट) में आयोजित करने का निर्देश दिया गया था।

**NBEMS (National Board of Examinations in Medical Sciences)** ने इस स्थगन की पुष्टि करते हुए कहा है कि नई परीक्षा तारीख जल्द घोषित की जाएगी।

**सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बदला पूरा शेड्यूल**

पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार यह परीक्षा दो पालियों में होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह स्पष्ट किया कि **परीक्षा केवल एक ही शिफ्ट मे अांयोजित होनी चाहिए**, जिससे परीक्षा की निष्पक्षता बनी रहे।

इस आदेश ने **NBEMS** की तैयारियों को प्रभावित किया है, क्योंकि एक ही शिफ्ट में लाखों छात्रों के लिए **पर्याप्त परीक्षा केद्रं और इंफ्रास्ट्रक्चर** उपलब्ध कराना संभव नहीं था।

**NBEMS का आधिकारिक बयान**

NBEMS द्वारा जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में कहा गया है: "सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अब परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। इसके लिए हमें अधिक संख्या में परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता है और बुनियादी ढांचे को भी दुरुस्त करना

होगा। इन कारणों से परीक्षा को फिलहाल स्थगित किया जाता है। जल्द ही नई तारीख की घोषणा की जाएगी।"

**एग्जाम सिटी स्लिप भी नहीं हुई जारी**

**NEET PG 2025** के लिए 2 जून को एग्जाम सिटी स्लिप जारी होनी थी, लेकिन अब परीक्षा स्थगन के चलते यह भी रोक दी गई है। हजारों छात्रों को इस खबर से झटका लगा है जो अपनी तैयारी के अंतिम चरण में थे।

**अब क्या करे छात्र ?**

१. छात्र नियमित रूप से **NBEMS** की आधिकारिक वेबसाइट

२. https://natboard.edu.in चेक करते रहें।

३. **किसी भी अफवाह पर ध्यान न दे, केवल आधिकारिक जानकारी को मान्यता दे।**

४. **तैयारी जारी रखे क्योंकि नई तारीख कभी भी घोषित हो सकती है।**

ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें: www.samacharwani.com

---

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.